न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–03/2020
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम रौशन कुमार यादव एवं अन्य

आदेश की कम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
07/2/2020	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक 1304/म0नि0को0, दिनांक 25.12.2019 से प्राप्त बहादुरपुर थाना कांड संख्या–558/19 दिनांक 05.11.2019 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त (1) स्पलेंडर मोटरसाईकिल पंजीयन सं0–BR09H-7743 तथा (2) बिना नम्बर का बुलेट मोटरसाईकिल जिसका इंजन सं0–U3S5COGK163564 चेसिस सं0–ME3U3S5C-1GK0022609 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में विपक्षी वाहन स्वामी (बुलेट) की ओर से कारण पृच्छा प्राप्त है, जो अभिलेख पर संधारित है। वाहन स्वामी स्पलेंडर मोटरसाईकिल पंजीयन सं0–BR09H-7743 की ओर से कारण पृच्छा अप्राप्त है। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल रात्रि गश्ती के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर लोहियाचरण सिंह कॉलेज रोड में शिव मंदिर के पास पहुँचे तो देखा कि दो युवक मोटरसाईकिल खड़ा कर आपस में लेन–देन कर रहे हैं तथा बीच में काले रंग का बैग रखे हुआ है। पुलिस बल को देखकर दोनों युवक मोटरसाईकिल एवं काले रंग के बैग को छोड़कर भागने लगा, जिसे पुलिस बल के सहयोग से एक को पकड़ लिया गया तथा दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। पकड़ाये व्यक्ति से नाम/पता पूछने पर अपना नाम रौशन कुमार यादव, पे0–वशिष्ठ नारायण यादव, ग्राम–मिठुनिया, थाना–बहेड़ी, जिला–दरभंगा तथा भागे हुए व्यक्ति का नाम राम बाबू यादव, पिता–राम जप्पो यादव, ग्राम–दिलावरपुर, थाना–बहादुरपुर बताया। इसी बीच पुलिस की सक्रियता को देखकर स्थानीय लोग जुट गये। उपस्थित दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष विधिवत् सड़क के किनारे खड़े दोनों मोटरसाईकिल की तलाशी ली गयी। तलाशी के दौरान (1) मोटरसाईकिल पंजीयन सं0–BR09H-7743 स्पलेंडर प्लस के डिक्की से विदेशी शराब इम्पेरियल ब्लु व्हिस्की 180*ml* का 4 (चार) बोतल, इसी मोटरसाईकिल के ऊपर रखे हुए काले रंग के बैग से विदेशी शराब इम्पेरियल ब्लु व्हिस्की 180*ml* का 10 (दस) बोतल तथा 750*ml* का 04 (चार) बोतल हरियाणा निर्मित बरामद हुआ। (2) वहीं पर खड़ी बुलेट मोटरसाईकिल जो बिना नम्बर का है की तलाशी ली गयी। तलाशी के क्रम में उक्त बुलेट की डिक्की से विदेशी शराब इम्पेरियल ब्लु व्हिस्की 180*ml* का 4 (चार) बोतल कुल 720*ml* बरामद हुआ। इस प्रकार स्पलेंडर प्लस मोटरसाईकिल से कुल	

5.520 लीटर तथा बुलेट मोटरसाईकिल से 720*ml* अवैध शराब बरामद हुआ। अतः विधि सम्मत् आदेश पारित किया जा सकता है।

वाहन स्वामी बुलेट मोटरसाईकिल निबंधन सं0–BR07Y-4158 की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि वे उक्त वाहन के वास्तविक स्वामी हैं। उनका पुत्र रौशन कुमार यादव उर्फ रौशन लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय का बी0ए0 आनर्स का छात्र है तथा महाविद्यालय के बगल में किराया लेकर रहता था और वहीं भुवनेश्वर यादव के लड़का धर्मेन्द्र कुमार यादव मकान का अधिक किराया की मांग को लेकर बहादुरपुर थाना के पुलिस को मेल में लाकर झूठा केस में फँसा दिया। उपरोक्त बुलेट मोटरसाईकिल से कोई शराब बरामद नहीं हुआ था। भुवनेश्वर यादव के लड़का के कहने पर मेरे पुत्र को फंसा दिया और मात्र 720*ml* बरामद दिखाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि साजिश किया गया है। इसलिए बुलेट मोटरसाईकिल का अधिहरण न्यायसंगत नहीं होगा। विद्वान् अधिवक्ता का विशेष रूप से कथन है कि साजिश के तहत फंसाना और इतने कम मात्रा में शराब बरामद होना से स्पष्ट है कि उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के व्यापार अथवा परिवहन में नहीं किया गया है। अतः स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए उक्त बुलेट मोटरसाईकिल को मुक्त करने की कृपा की जाय।

उभयपक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि पुलिस बल द्वारा स्पलेंडर मोटरसाईकिल से 180*ml* का 04 (चार) बोतल शराब तथा उस पर रखे हुए बैग में से बैग में से 180*ml* का 10 (दस) बोतल तथा 750*ml* का 04 (चार) बोतल शराब तथा बुलेट मोटरसाईकिल से 180*ml* का 04 (चार) बोतल शराब बरामद किया गया है। विपक्षी वाहन स्वामी स्पलेंडर मोटरसाईकिल की ओर से कारण पृच्छा अप्राप्त है। विपक्षी वाहन स्वामी बुलेट मोटरसाईकिल की ओर से विद्वान् अधिवक्ता उपस्थित हैं तथा कारण पृच्छा दाखिल है। उनका कथन है कि उनका पुत्र लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय में पढ़ता है बगल में किराया के मकान में रहता है। मकान किराया बढ़ाने को लेकर विवाद के कारण उसे गलत ढ़ंग से फंसाया गया है और 720*ml* शराब बरामद दिखाया गया। विद्वान् अधिवक्ता को सुनने एवं सम्यक रूप से विचारोपरान्त मात्र 720*ml* शराब बरामदी से उक्त जब्त बुलेट मोटरसाईकिल से व्यापारिक दृष्टिकोण अथवा परिवहन किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त जब्त बुलेट मोटरसाईकिल की विमुक्ति हेतु बंधपत्र, अंडरटेकिंग तथा वाहन के बीमित मूल्य के बराबर एक प्रतिभूति दाखिल करने हेतु विपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता को सुनवाई के दौरान निदेश दिया गया। तदालोक में उनकी ओर से दिनांक 06.02.2020 को बंधपत्र, अंडरटेकिंग तथा प्रतिभूति के रूप में श्री संजय कुमार, पिता–स्व0 गंगा महतो, साकिन–मौजे बहेड़ी, थाना–बहेड़ा, जिला–दरभंगा का केवाला सं0–11422 दिनांक 24.07.2018, रकबा तीन कट्ठा 14 धुर मौजे, रसलपुर, सोहरण उर्फ बहेड़ा प्रगणा, खाता–773,

2155 खेसरा 378 पुराना, 597 नया कीमत केवाला के अनुसार मो0–4,95,000/- (चार लाख पंचानवे हजार) रूपये का दाखिल किया गया है। जब्त वाहन का बीमित मूल्य 1,00,000/- (एक लाख) रुपया मात्र है।

दाखिल कागजात विद्वान् अधिवक्ता तथा विद्वान् विभागीय अधिवक्ता द्वारा सत्यापित है, जिसे सही पाकर स्वीकृत किया जाता है।

अतएव दाखिल कागजात के आलोक में बहादुरपुर थाना कांड संख्या–558 / 19 दिनांक 05.11.2019 में जब्त वाहन बुलेट मोटरसाईकिल निबंधन सं0–BR07Y-4158 जिसका इंजन सं0–U3S5-COGK163564 चेसिस सं0–ME3U3S5C1GK0022609 को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश की प्रति वाहन विमुक्ति हेतु थानाध्यक्ष, बहादुरपुर थाना को दाखिल कागजात की प्रति के साथ अनुपालनार्थ भेजें।

आदेश की प्रति अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजे।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा।	समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा।